IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं का ऐतिहासिक योगदान : दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर

Khushboo[1], Priyanshu[2], Santosh[3]

[1,2,3]Undergraduate Student, University of Delhi, History, Delhi, India

सारांश

1946 में गठित भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं द्वारा अपना बहुमूल्य योगदान दिया गया था। ये शोध संविधान निर्माण में दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर के योगदान का वर्णन करेगा। इन महिलाओं के द्वारा ना केवल स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई गई बल्की स्वतंत्र भारत के राजनीति और सामाजिक ढांचे को आकार देने में भी महतवपूर्ण भूमिका निभाइ गई। इन महिलाओ द्वारा सभा के विभिन्न समितियों में सक्रिये रूप से भाग लिया गया। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा कि अत्यंत साक्रिय सदास्य थी। उनके द्वार महिला अधिकारो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ,अनाथ बच्चों के संरक्षण जैसे मुद्दों का समर्थन किया साथ ही उनके द्वारा सबसे से ज्यादा संसोधन प्रस्ताव रखे गए। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में दुरगाबाई ने आंध्र महिला सभा (1937) की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधिक साक्षरता और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने को प्राथमिकता दी, जो स्वतंत्र भारत के उदार और कल्याणकारी दृष्टिकोण के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, दुरगाबाई देशमुख ने संसद में सक्रिय भूमिका निभाई और केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड जैसी संस्थाओं के निर्माण में नेतृत्व किया। उन्होंने परिवार नियोजन, विस्थापितों के पुनर्वास, विधिक सुधार, और महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के कल्याण पर नीतिगत पहल की। सुचेता कृपलानी द्वारा महिला अधिकारो, सामाजिक न्याय, श्रमिक हित एवं लोकतांत्रिक मूल्यो को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व राष्ट्र-निर्माण, प्रशासनिक सुधार और महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रेरणादायी उदाहरण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त किया। राजकुमारी अमृत कौर का गांधी जी की अनुयायी के रूप में मुख्य उदेश्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। संविधान सभा में उन्होने मौलिक अधिकारो, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यको के अधिकारो को सुनिश्चित करने जैसे मुद्दो पर अपना योगदान किया। कौर द्वारा बाल विवाह,पर्दा प्रथा,देवदासी प्रथा जैसी कुरितियो का कड़ा विरोध किया गया।

ये शोध-पत्र इन महिलाओ के संविधान सभा के भाषणों का विश्लेष्णात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेगा। उनके द्वार प्रशासन के नीति निर्माण में भूमिका केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है बाल्की समकालीन राजनीति में भी प्रेरणा का स्त्रोत है।

मुख्य बिंदु - संविधान सभा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, प्रशासनिक सुधार

परिचय :

भारतीय इतिहास में महिलाओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अलग-अलग कालों में उनकी स्थिति बदलती रही। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी की, जिससे यह पता चलता है कि उस समय उन्हें बौद्धिक सम्मान प्राप्त था। मध्यकाल में उनकी स्थिति कुछ सीमित हो गई, फिर भी रज़िया सुल्तान, रानी दुर्गावती, अक्का महादेवी, चांद बीबी और मीराबाई जैसी महिलाओं ने अपने साहस और भक्ति के माध्यम से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। औपनिवेशिक काल, विशेषकर 19वीं–20वीं सदी में, महिलाओं की भागीदारी फिर से बढ़ी और सरोजिनी नायडू, एनी बेसेन्ट, कस्तूरबा गांधी, कादम्बिनी गांगुली और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इसी पृष्ठभूमि में दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी और अमृत कौर जैसी अग्रणी महिलाओं ने अपनी योग्यता, कर्मठता और बुद्धिमत्ता से सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार दुर्गाबाई देशमुख का व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बल्कि महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और संस्थागत कार्यों के माध्यम से समाज में ठोस बदलाव लाने का प्रयास किया। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक और प्रभावशाली सामाजिक सुधारक भी थीं। इसी प्रकार हम एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सुचेता कृपलानी से रूबरू होते हैं। जो अपने उत्साह ,अद्भुत ज्ञान ,कर्मठता, सादगी और कुशल नेतृत्व के बल पर स्वतंत्रता आंदोलन के सभी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी पूरी शक्ति देश को स्वतंत्र करने में झोंक दी। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक सशक्त, संवेदनशील और सिद्धांतनिष्ठ नेतृत्व का प्रतीक थीं। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी रहीं, बल्कि संविधान सभा की सदस्य, महिला अधिकारों की प्रखर समर्थक और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा दी। इसी प्रकार, संविधान सभा की एक अन्य सदस्य राजकुमारी अमृत कौर थीं, जो एक सच्ची देशभक्त, अहिंसा की अनुयायी और समाज कल्याण के लिए सदैव समर्पित कार्यकर्ता थीं। राजकुमारी अमृत कौर एक कुलीन घराने से संबंधित थीं, लेकिन वे स्वभाव से देश के सामाजिक उत्थान के लिए हमेशा गरिमामयी रहीं। उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए हमेशा न्यायपूर्ण कदम उठाए गए। राजकुमारी अमृत कौर 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान सभा की सदस्य रहीं। इस दौरान वे मौलिक अधिकार उप-समिति, अल्पसंख्यक उप-समिति और प्रांतीय संविधान समिति की सदस्य रहीं। उन्होंने सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों और समान नागरिक संहिता पर जोर दिया और महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े अधिकारों की पुरजोर वकालत की।

शोध कार्यप्रणाली :

प्रस्तुत शोध में दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी तथा राजकुमारी अमृत कौर के जीवन, सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान तथा महिला सशक्तिकरण में उनकी भूमिका के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक एवं गुणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक सुधार और महिला अधिकारों के विकास में उनके योगदान का समग्र विश्लेषण करना है।अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों जैसे संसदीय अभिलेख, सरकारी दस्तावेज, भाषण, पत्र-पत्रिकाएँ तथा द्वितीयक स्रोतों जैसे पुस्तकें, शोध आलेख और जीवनी साहित्य का उपयोग किया गया है। इन स्रोतों की विश्वसनीयता की जाँच स्रोत आलोचना पद्धति द्वारा की गई है।शोध में नारीवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ संदर्भात्मक, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में इन तीनों नेताओं के योगदान को समझने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन भारतीय इतिहास में महिला नेतृत्व की सशक्त भूमिका को रेखांकित करता है।

1.0 "जेल से संसद तक : दुर्गाबाई देशमुख की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता"

डॉ. दुर्गाबाई देशमुख के बचपन के समय भारत में सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही सामंती और रूढ़िवादी थीं। उस समय बाल विवाह बहुत सामान्य बात थी और वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थीं। उनका जन्म **15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तटीय क्षेत्र राजमहेंद्रवरम** में हुआ था। उनके जीवन में उनके पिता का व्यक्तित्व एक विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक ओर वे मानवता और सेवा-भावना के लिए जाने जाते थे, दूसरी ओर उन्होंने ही दुर्गाबाई का बाल विवाह करा दिया, जिसे बाद में वे अपनी सबसे बड़ी भूल मानते थे। यह बात दिखाती है कि उस समय अच्छे विचार रखने वाले लोग भी सामाजिक परंपराओं से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। दुर्गाबाई का विवाह के बारे में बाद में लिया गया स्पष्ट और साहसी निर्णय उनके भीतर जागी हुई चेतना का प्रमाण है। दुर्गाबाई का इस विवाह को न मानने का निर्णय उनके साहस और जागरूकता को दर्शाता है। इसी तरह, देवदासी प्रथा के प्रति उनकी आलोचनात्मक दृष्टि यह बताती है कि वे बहुत छोटी उम्र से ही स्त्रियों के शोषण को पहचानने लगी थीं। गांधीजी से देवदासी महिलाओं की मुलाकात कराने का उनका प्रयास केवल एक सामाजिक काम नहीं था, बल्कि यह महिलाओं में जागरूकता और आत्मसम्मान पैदा करने की दिशा में एक गंभीर पहल थी। दुर्गाबाई का व्यक्तित्व केवल निजी संघर्षों से नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की चेतना से भी बना था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा, अनुभव और नैतिक साहस मिलकर एक स्त्री को सामाजिक परिवर्तन की शक्ति में बदल सकते हैं। 1921 से लेकर 1923 के बीच का समय दुर्गाबाई देशमुख के जीवन में एक turning phase के रूप में सामने आता है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि समाज के अंदर मौजूद गहरी समस्याओं को भी सीधे चुनौती दी। 1921 में गांधीजी के काकीनाडा आगमन के समय महिलाओं के लिए अलग सभा आयोजित करने पर उनका ज़ोर यह दिखाता है कि वे बहुत कम उम्र में ही महिलाओं की अलग सामाजिक स्थिति को समझने लगी थीं, खासकर देवदासी और पर्दा प्रथा से जुड़ी महिलाओं के संदर्भ में। उसी समय घरेलू हिंसा और विधवाओं के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उनका विरोध यह बताता है कि वे सामाजिक अन्याय को सामान्य मानने के लिए तैयार नहीं थीं। 1922 में बालिका हिंदी पाठशाला की स्थापना और खादी अपनाने का निर्णय उनके भीतर बढ़ती राष्ट्रीय चेतना को दर्शाता है। वहीं 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस अधिवेशन और हिंदी प्रचार सभा से जुड़ाव ने उनके विचारों को और व्यापक बनाया। इन सभी घटनाओं को साथ में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि दुर्गाबाई का व्यक्तित्व केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक सुधारक के रूप में विकसित हो रहा था, जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थी।

लगभग 1921 से 1930 के बीच दुर्गाबाई देशमुख का कार्य केवल आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक संगठित सामाजिक पहल के रूप में सामने आता है। हिंदी सीखने के साथ-साथ उन्होंने काकीनाडा में अपने घर से ही "बालिका हिंदी पाठशाला" शुरू की, जहाँ सैकड़ों महिलाओं को न सिर्फ हिंदी सिखाई गई, बल्कि उन्हें खादी, चरखा और राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ा गया। यह पहल अपने आप में महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय क्षेत्र में हिंदी का ज्ञान लगभग नहीं था। कांग्रेस अधिवेशन (1923) के दौरान उनकी संगठन क्षमता और अनुशासन भी सामने आया, जैसे नेहरू को बिना टिकट प्रवेश न देने की घटना, जो उनके कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दिखाती है। विशेष रूप से 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 1930 से 1933 के बीच उन्हें तीन बार जेल जाना पड़ा। यह समय उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि जेल में रहते हुए उन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति को करीब से समझा। आगे चलकर नमक सत्याग्रह (1930) में सक्रिय भागीदारी और बार-बार कारावास ने उनके राजनीतिक संकल्प को और मजबूत किया। जेल के अनुभवों ने उन्हें यह समझाया कि महिलाओं के अधिकारों के लिए कानूनी ज्ञान जरूरी है, इसी कारण उन्होंने आगे चलकर शिक्षा प्राप्त की और विधि के क्षेत्र में प्रवेश किया। **वेल्लोर जेल** में अपने कारावास के दौरान उन्होंने महिलाओं की स्थिति को गहराई से देखा। उन्होंने पाया कि अधिकांश महिलाएँ अशिक्षित थीं और उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी। कई महिलाएँ बिना उचित कानूनी सहायता के सजा भुगत रही थीं। जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को A, B और C श्रेणियों में विभाजित किया जाता था, जिससे भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती थी। दुर्गाबाई देशमुख ने इस भेदभाव का विरोध किया और स्वयं उच्च श्रेणी की सुविधाओं को अस्वीकार करते हुए समानता की मांग की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे केवल अपने लिए नहीं,

बल्कि सभी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं। 1930 के दशक से 1942 तक का समय उनके लिए एक तरह से संघर्ष से आत्मनिर्माण की यात्रा रहा, जिसमें उन्होंने सामाजिक सेवा, शिक्षा और कानून के माध्यम से अपने काम को नई दिशा दी। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद मद्रास में सी. राजगोपालाचारी की सरकार बनी और इसी समय दुर्गाबाई देशमुख का परिवार मद्रास आ गया। 1937 से 1939 के बीच पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर बच्चों को गीत, नृत्य और कहानियाँ सिखाना शुरू किया, जो आगे चलकर "लिटिल लेडीज़ ऑफ ब्रिंदावन" के रूप में विकसित हुआ। धीरे-धीरे इसमें बच्चों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ने लगी और हिंदी, नृत्य व अन्य गतिविधियाँ शुरू हो गईं। 1939 में कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने चेन्नापुरी आंध्र महासभा से जुड़कर काम किया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि महिलाओं के लिए अलग संस्था की जरूरत है, इसलिए "आंध्र महिला सभा" की स्थापना की गई।

1.1 महिला शिक्षा से आर्थिक सशक्तिकरण तक : आंध्र महिला सभा का उदय और विस्तार

1940 से 1942 के बीच, जब देश में द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, आंध्र महिला सभा ने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया। कम समय में पढ़ाई पूरी कराने की योजना शुरू की गई ताकि महिलाएँ मैट्रिक के बराबर परीक्षा दे सकें। इसके साथ ही सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसे कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। 1941 में संस्था का विस्तार हुआ और सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में इसका कार्यक्रम भी हुआ। 1942 में छात्राओं को बनारस परीक्षा देने भेजा गया, जहाँ लगभग 90% छात्राएँ सफल रहीं, हालांकि बाद में प्रवेश को लेकर कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। इस पूरे समय (1937–1942) में आंध्र महिला सभा एक छोटे समूह से बढ़कर महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई। 1950 के दशक की शुरुआत में, जब दुर्गाबाई देशमुख और चिंतामण देशमुख योजना आयोग के सदस्य थे, तब उन्होंने देश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में योगदान दिया। शुरुआत में ही उन्होंने एक प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें लगभग 100 अमेरिकी परिवारों को भारतीय गांवों में सेवा कार्य के लिए बुलाने की बात थी, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को अपने काम के लिए विदेशियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, भले ही उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर इससे पूरी तरह सहमत नहीं थीं। उन्होंने कैंसर, टी.बी., कुष्ठ रोग और फाइलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता और सहायता कार्य शुरू करवाए और केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को सहयोग दिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) के दौरान उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, साफ पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया। इसी समय नर्सों की कमी को देखते हुए उन्होंने हर दस गांवों पर एक प्रशिक्षित नर्स रखने का सुझाव दिया, जिसके बाद ए.एन.एम. (Auxiliary Nurse Midwives) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई विरोधों के बावजूद उन्होंने दिल्ली में इसके निर्माण का समर्थन किया और अंततः इसे मंजूरी मिली, जिसके लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इस तरह 1950 के दशक में उनके कार्य केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और विकास नीतियों को दिशा देने वाले साबित हुए। स्वतंत्रता के बाद के समय में, खासकर 1947 के बाद, दुर्गाबाई देशमुख ने सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। वे राष्ट्रीय लघु बचत अभियान की अध्यक्ष रहीं, जिसका उद्देश्य लोगों को बचत के लिए प्रेरित करना था, और इसमें पंडित नेहरू ने भी खुद सोना दान करके सहयोग दिया। विभाजन (1947) के बाद उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की जिम्मेदारी संभाली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता की। उनका काम पहले के सामाजिक सुधार आंदोलनों (1880–1900) और गांधीजी के प्रभाव (1920 के बाद) से जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया, खासकर 1930 से 1950 के दशक के बीच महिलाओं की शिक्षा और उत्थान के क्षेत्र में।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) के दौरान योजना आयोग की सदस्य के रूप में उन्होंने सामाजिक कल्याण को नीतियों से जोड़ा। 14 अगस्त 1953 को केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना उनके प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम थी। 1954 से 1962 तक इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण केंद्र, महिलाओं के लिए रोजगार और

प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिनका प्रभाव लगभग डेढ़ लाख गांवों तक पहुँचा। उन्होंने वेश्याओं के पुनर्वास, अपराधियों के सुधार और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर भी काम किया। साथ ही "Social Welfare" और "समाज कल्याण" जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनके कार्यों का प्रभाव आगे भी बना रहा और 1978 में केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की रजत जयंती पर उनके योगदान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस प्रकार, उन्होंने 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक सामाजिक कल्याण को एक मजबूत आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1.2 संविधान सभा में दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका : सामाजिक सुधार से संवैधानिक निर्माण तक :

संविधान सभा के दौरान 1946–1949 के बीच दुर्गाबाई देशमुख ने एक सक्रिय, व्यावहारिक और दूरदर्शी महिला नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 28 अप्रैल 1947 को उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर जोर दिया, जबकि 21 जुलाई 1947 और 29 जुलाई 1947 को प्रांतीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को आवश्यक बताया। आगे चलकर 3 दिसम्बर 1948 और 6 दिसम्बर 1948 को उन्होंने देवदासी प्रथा के उन्मूलन, सामाजिक सुधार और धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने की वकालत की, जिससे उनकी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। 18 मई 1949 को उन्होंने युवाओं को शासन में भागीदारी देने के लिए आयु सीमा कम करने का समर्थन किया, जबकि 31 मई 1949 को राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में उन्होंने एक संतुलित और उत्तरदायी व्यवस्था का समर्थन किया। इसके बाद 9 जून 1949 को उन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र पर व्यावहारिक और लचीले दृष्टिकोण की वकालत की, जिससे प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित हो सके। अंततः, 31 अगस्त 1949 को उन्होंने फिल्मों के मानकों और सेंसरशिप पर अपने विचार रखते हुए सांस्कृतिक सुधार, सामाजिक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार, दुर्गाबाई देशमुख का योगदान केवल संवैधानिक निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक उन्नति, युवा सशक्तिकरण और प्रशासनिक संतुलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी बहुआयामी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

2 "संविधान सभा से मुख्यमंत्री पद तक : सुचेता कृपलानी का संसदीय योगदान"

सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को एक उच्च वर्गीय बंगाली परिवार में अंबाला (पंजाब) में हुआ था। जो कि वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में है।इनके पिता डॉ. सत्येंद्र नाथ मजूमदार (डॉ. एस .एन मजूमदार) पंजाबसरकार की मेडिकल सर्विस में चिकित्सा अधिकारी थे। सुचेता के दादा जी दीनानाथ ब्रह्म समाज के शीर्षस्थ नेता केशवचंद्र सेन के निकट शिष्य थे । तथा वे ब्रह्म समाज का प्रचार करने के लिए पंजाब चले आए थे। सुचेता मजूमदार के घर का वातावरण धार्मिक था। सुचेता की मां उग्र स्वभाव की थी,परंतु वह गायन में प्रवीण थी। सुचेता ने भी संगीत प्रेम अपने मां से विरासत में पाया था। सुचेता की दो बहने थी बड़ी बहन सुलेखा और छोटी बहन हिमानी । जब वह 10 वर्ष की थी तब उनके सामने जलियांवाला हत्याकांड घटना घटी इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, और उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो उठी। सुचेता के पिता सरकारी सेवा में होने के कारण उनके पिता का स्थानांतरण नियमित रूप से होता रहा । जिसके कारण उनका प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा अलग-अलग स्थान पर हुआ। उन्होंने लगभग दर्जन भर स्कूल बदले। उन्होंने ने अपनी इतिहास में सेंस्टीफेन कालेज से की है । पिता के देहावसान के पश्चात पारिवारिक जिम्मेदारीया सुचेता के ऊपर आ गई ।जुलाई 1931 में "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय" के अधीन महिला महाविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता का पद संभाला । यहां रहकर उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना से ओत - प्रोत हुई। तथा आचार्य जे .बी कृपलानी और गांधी से जुड़ी यही से वह राष्ट्रवादी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी तथा आंदोलनों से जुड़ी और आम जन लोगो को

राष्ट्रवादी गतिविधियों में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तथा भूमिगत स्तर पर कार्य किया और सर्वप्रथम 1940 में फैजाबाद से यक्तिगत आंदोलन का नेतृत्व किया ।

2.2 "भारत छोड़ो आंदोलन" में युवा कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका :

सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई सत्र के दौरान अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का संकल्प लिया। सर्वोच्च नेता जेल गए तो सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली ने इस आंदोलन को बढ़ाते हुए बंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। जहां अरुणा आसफ अली को भारतीय नायिका के रूप में याद किया जाता है। तो वहां सुचेता कृपलानी को उनका दाहिना हाथ कहा गया, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन को एक नई दशा वह दिशा प्रदान की। इसी दौरान अरुणा आसफ अली को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया गया तो इससे बचने के लिए सुचेता कृपलानी तथा अरुणा आसफ अली भूमिगत रहने लगी ।अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति अपने अधीन कर उसे बेच दिया । राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर वह इंकलाब नाम मासिक समाचार पत्र का संपादन भी करती रहीं। तबीयत बिगड़ने के कारण महात्मा गांधी ने अरुणा आसफ अली को आत्म समर्पण करने के लिए कहा। परंतु उषा मेहता और सुचेता कृपलानी भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को एक नई ऊर्जा देती रही।

2.3 राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला विभाग में कार्यवाहक मंत्री के रूप में उनकी भूमिका :

सुचेता कृपलानी ने 1941 – 42 में विदेश विभाग के अंतर्गत कांग्रेस के महिला विभाग का उत्तरदायित्व संभाल। कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय स्वराज भवन में था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ 9 अगस्त 1942 से मार्च 1943 तक भूमिगत रूप से सुचेता कृपलानी ,उषा मेहता और अरुणा आसफ अली इत्यादि जांबाज महिलाओं ने कांग्रेस समिति के बंबई में स्वयं निर्मित भूमिगत रेडियो कार्यालय और अन्य प्रकार के आंदोलन का संचालन किया था। जिसको केंद्रीय कांग्रेस का निर्देश कहा गया। 9 अगस्त 1942 की प्रातः काल ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं के साथ सरदार पटेल वह आचार्य जे .बी कृपलानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां महल में बंदी बनाया गया ।और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में बंदी बनाया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से सारे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। उसे समय सुचेता कृपलानी ने यह अनुभव किया कि। जब देश के सारे नेता पहले ही जेल में हैं, ऐसे में हर किसी व्यक्ति का जेल जाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। यह सोचकर ही वह आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग लेकर पुलिस को आत्मसमर्पण करने के बजाय भूमिगत हो गई।सुचेता कृपलानी ,जयप्रकाश नारायण, डॉ .राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेताओं द्वारा भूमिगत आंदोलन का संरक्षण किया जाने लगा। सुचेता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के महिला विभाग की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के कार्यालय में महिला विभाग की कार्यवाहक मंत्री होने के कारण सुचेता कृपलानी ने भूमिगत आंदोलन में नाम बदलकर कार्य किया ।कांग्रेस कार्य समिति में उनका बदला हुआ नाम 'दादी' था । वह "सुचेता" और "मिस एस" के नाम से भी संबोधित की जाती थी। समिति के सदस्यों में वह 'बहन जी' के नाम से भी जानी जाती थी। बिहार और यू .पी में विद्रोह जैसा माहौल बन गया। जिसमें मुख्य सहमति व भूमिगत आंदोलन द्वारा सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली यू . पी और बिहार में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अगस्त के मध्य तक विद्यार्थियों तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जरिए आंदोलन की खबर गांव में पहुंचने लगी। काशी विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारत छोड़ो का संदेश फैलाने के लिए गांव में जाने का फैसला किया। उनके नारे थे। "थाना जलाओ ,स्टेशन फूको ,अंग्रेज भगाओ" इत्यादि। सरकार को जनता के खुले- आम विद्रोह पर काबू पाने में 6 से 7 हफ्ते लगे। पर इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन का एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो रहा था। आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन,अरुणा आसफ अली ,राम मनोहर लोहिया ,सुचेता कृपलानी छोटू भाई पुराणिक ,बीजू पटनायक ,आर . पी गोविंदा का और बाद में जेल से निकल भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे अखिल भारतीय नेताओं ने फरार रहते हुए संभाल ली थी। यह लोग पैसा और बम ,हथियार,बारूद आदि सामग्री इकट्ठा

करते और देश भर में छितराए हुए गुप्त समूह में बांटते थे। भूमिगत कार्यवाही में संलग्न लोगों की संख्या बेशक कम थी ,पर उन्हें व्यापक सहयोग मिल रहा था।

2.4 1945 में कस्तूरबा ट्रस्ट के संगठन मंत्री के रूप में :

सुचेता कृपलानी ने महिला कल्याण, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1945 से 1947 तक कस्तूरबा नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की संगठन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त वे गांधी स्मारक निधि की उपाध्यक्ष रहीं और कई शैक्षिक संस्थानों व लोक कल्याणकारी समितियों से जुड़ी रहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लिया तथा महिला सशक्तिकरण, श्रम और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए।

2.5 शरणार्थियों की समस्या के समाधान में भूमिका :

सुचेता कृपलानी में आरम्भ से ही अपने जीवन का लक्ष्य आम लोगों की सहायता करना और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प लिया । जो की उनके द्वारा किए गए कार्यों में दिखता है । जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली उसी के साथ विभाजन की त्रासदी को भी सहना पड़ा । जिसके कारण शरणार्थियों की समस्या नव राष्ट्र के सामने आ गई । उन्होंने शरणार्थियों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई । जब बिहार और बंगाल में आजादी पाने के लिए भीषण तांडव हुआ। पूर्वी बंगाल के नोआखाली क्षेत्र में महिलाओं का अपहरण कर लिया गया और बलात्कार किया जा रहा था। इस भीषण स्थिति में सुचेता और उनके पति आचार्य कृपलानी गांधी जी के ऐतिहासिक यात्रा के लिए रास्ता तैयार करने चल दिए। महीनों तक वह उस जमीन पर रहीं जब तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ गयी। उन्होंने विशेषकर अपहृत महिलाओं के बचाव और पुनर्वास के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किया । सुचेता कृपलानी ने स्वीकार किया कि पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से लोगों को निकालने में सरकार ने काम किया है । लेकिन अपहृत महिलाओं को छुड़ाने के मामले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने एक गंभीर उदाहरण दिया कि शेखूपुर से करीब 300 महिलाओं को निकाला गया था। सुचेता कृपलानी ने विभाजनकालीन शरणार्थी संकट, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान से बचाकर लाई गई अनेक महिलाएँ भारत पहुँचने के बाद भी सुरक्षित नहीं रह सकीं तथा कई मामलों में उनका कोई पता नहीं चल पाया। उन्होंने महिला तस्करी और पुनर्वास शिविरों में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी को शरणार्थियों की कठिनाइयों का मुख्य कारण बताया। कृपलानी ने यह भी सुझाव दिया कि राहत कार्य केवल शिविरों तक सीमित न रहकर बाहर रह रहे विस्थापितों तक भी पहुँचे, उन्हें आर्थिक सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा सहकारी समितियों के माध्यम से उनके लिए नई बस्तियों और पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था की जाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पुरुष और महिलाएँ समान हों, जहाँ सभी जातियों के लोग समान हों। हम एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। इन वर्षों में, हम समाज में महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2.6 उत्तर प्रदेश की “प्रथम महिला मुख्यमंत्री” के रूप में उनकी भूमिका :

सुचेता कृपलानी के कार्य पद्धति दृढ़ इच्छा शक्ति राजनीतिक समझ के कारण कामराज योजना के तहत चंद्रभानु गुप्त के इस्तीफा देने के पश्चात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुचेता कृपलानी का चुनाव किया। क्योंकि इंदिरा गांधी जी जानती थी। कि उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं। है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 -11- 1959 में सुचेता को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सुचेता जी को संबोधित करते हुए कहा –

"मैं इस जिम्मेदारी को तुम्हें सौंपना चाहती हूं। मुझे इस बात की खुशी है। कि मैं तुम्हारे साथ कार्य करूंगी और इसमें तुम मुझे सहयोग प्रदान करोगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम देश को आगे ले जा सकती हो"।

– इंदिरा गांधी

20-11-1959

2 अक्टूबर 1963 को गांधी जी के जन्म दिवस के दिन सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश के प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के विकास के साथ-साथ कृषि उर्वरक, तकनीकी क्षेत्र, उद्योग ,शिक्षा, सिंचाई, चकबंदी, आर्थिक संसाधन, सामाजिक कार्य, परिवार नियोजन और शासन प्रशासन में भारी फेरबदल करके सभी के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किया। तथा 13 मार्च 1967 तक उन्होंने मुख्य मंत्रित्व काल का संचालन किया। सुचेता कृपलानी जी ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की।1964 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में एक त्वरित विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात सुचेता कृपलानी ने देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किये। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने, पावर सप्लाई बढ़ाने, सड़कों एवं संचार संसाधनों को बढ़ावा देने ,तकनीकी शिक्षा को उन्नत बनाने, खदान की कमी को दूर करने , को खुदवान फैमिली प्लानिंग को सफल बनाने ,कृषि संसाधनों का विकास करने, किसानों तथा जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने , कोल्डस्टोरेज की संख्या बढ़ाने ऋण में कमी करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। उन्होंने मंत्रित्वकाल में सड़कों के निर्माण और यातायात के साधनों के विकास पर जोर दिया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का राष्ट्रीय महत्व होता है। राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने तथा भारतीय जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रमों का विकास करने का प्रस्ताव किया गया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उन्होंने परिवार नियोजन संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सामान प्राणी के काम में बहुत महत्व रखता है। हम हिंदुस्तान में 1/6 संख्या में यहां रहते हैं। अगर यही रफ्तार बढ़ते रही तो हमारी प्रगति बहुत मुश्किल बात है। बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था और बालकों के लिए छठी कक्षा तक की शिक्षा मुक्त है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ सकते हैं । पूर्वी जिलों में जब वह दौरा करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि किसानों के परिवार इतने दुखी हैं । कि उन्होंने बच्चों को पढ़ना बंद कर दिया है, बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो। इसके लिए उन्होंने जितनी रकम चाहिए थी , उतनी रकम देने के लिए कहा। विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद ना हो, इसके लिए उन्होंने वॉलंटरी एजेंसीज और प्रधानमंत्री फंड से अप्रोच कि उनके प्रयास से वॉलंटरी एजेंसी से दूध तथा सब्सिडी फूड भी मिला।बच्चों की सहायतार्थ उन्होंने **Hindi Minority & Guardianship Bill** पारित करने में सहयोग प्रदान किया।

2.7 महिलाओं के लिए किए गए कार्यों में उनका योगदान :

1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस के कुछ मतभेद होने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस से त्यागपत्र देने के उपरांत मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1952 में इसी दल से सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य चुनी गई । लोकसभा में इन्होंने महिलाओं के हित के लिए अनेक प्रयास किये । उन्ही में से एक प्रयास महिलाओं के विवाह अधिनियम से संबंधित है जिसको "**Special Marriage Bill**" के अंतर्गत रखा गया। सुचेता कृपलानी ने **1954 में विवाह अधिनियम पर अपने विचार रखते हुए विवाह की न्यूनतम आयु को सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से संतुलित बनाए रखने पर बल दिया।** उनका मत था कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु विवाह हेतु उपयुक्त है, क्योंकि यह आयु शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के अनुरूप है। उन्होंने तर्क दिया कि विवाह की आयु अत्यधिक बढ़ाने से सामाजिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि इसका उद्देश्य समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखना होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छुक व्यक्ति अधिक आयु में विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, कृपलानी ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए संपत्ति में समान हिस्सेदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने डिक्शनरी फंड के माध्यम से ₹10000 विद्यार्थियों के लिए , ₹32000 भिन्न-भिन्न इंस्टीट्यूशंस के लिए , ₹2000 बीमारी के लिए , ₹5000 आग से जलने वाले व्यक्तियों के लिए तथा ₹8000 शरणार्थियों को प्रदान किये।

3.0 “संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर की भूमिका”

राजकुमारी अमृत कौर भारत की संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थीं। उन्हें कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रांत और बरार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। संविधान सभा की कार्यवाहियों में राजकुमारी अमृत कौर द्वारा ज्यादा भाषण नहीं दिए गए हैं, लेकिन वह संविधान सभा की महत्वपूर्ण उप-समितियों की सदस्य रहीं और अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के उत्थान के पक्ष में हमेशा अपने विचारों को प्रस्तुत किया।

3.1 भेदभाव का निषेध :

मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 15 "भेदभाव के निषेध" की गारंटी सुनिश्चित करता है और यह वादा करता है कि धर्म, जाति, रंग, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि महिलाएँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से पुरुषों के समान हैं। वे भी नागरिक अधिकारों की समान हकदार हैं। अल्पसंख्यक उप-समिति द्वारा सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, कुओं आदि स्थानों पर भेदभाव के निषेध पर विस्तृत जाँच की गई और महिलाओं व बच्चों के लिए तथा सार्वजनिक रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए अलग प्रावधान और आरक्षण की ज़रूरत को महसूस किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक उप-समिति द्वारा एक प्रावधान बनाया गया कि "राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।"

राजकुमारी अमृत कौर द्वारा इसका विरोध प्रकट किया जाता है। वह कहती हैं कि यह सामाजिक समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए जिसमें एक खंड बच्चों और महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को भी रोकने में सक्षम हो। राजकुमारी अमृत कौर द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया और 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया। अंततः तीन संशोधनों—प्रथम शाब्दिक रूप से संशोधन, दूसरा संशोधन व्यापारिक प्रतिष्ठान अभिव्यक्ति के अंतर्गत मनोरंजन स्थलों के शामिल होने के संबंध में था ,के द्वारा इसे अपना लिया गया।

3.2 समान नागरिक संहिता:

संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को संविधान के अनुच्छेद 35 में समान नागरिक संहिता पर वाद-विवाद किया गया था। इस मसौदा अनुच्छेद का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम सदस्यों द्वारा किया गया। एम. मोहम्मद इस्माइल अनुच्छेद 35 में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले पहले सदस्य थे। वे तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है और यदि राज्य धर्म तथा संस्कृति के मामलों पर कानून बनाने का निर्णय लेता है, तो यह हस्तक्षेप के समान है। संविधान सभा में यह तर्क काफी विवादास्पद रहा। राजकुमारी अमृत कौर इस बहस के दौरान महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कहती हैं कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी असामाजिक प्रथाओं को वैधता प्रदान कर सकती है और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानूनों को निष्प्रभावी बना सकती है।

इसके निहितार्थ को समझने के लिए इस विषय पर और अधिक विचार-विमर्श करना आवश्यक है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को अपने नियम स्वयं बनाने की छूट दी जाए, इसका अर्थ है पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करने का मंच प्रदान करना; ऐसे में महिलाओं की स्वायत्तता पर आंच आ सकती है। इसके साथ ही वह कहती हैं कि यह भी समझना आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सामाजिक संबंधों को विधिबद्ध करना है। वह के.एम. मुंशी द्वारा दिए गए तर्क का हवाला देते हुए कहती हैं कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। अंततः एक लंबी बहस के पश्चात इस प्रस्ताव को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया।

3.3 अल्पसंख्यक:

1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा "भारतीय संघ" की कल्पना प्रस्तुत की गई, जो सांप्रदायिक आशंकाओं को दूर करने के लिए एक रियायत थी। इसे मुस्लिम लीग की मांग के विकल्प के रूप में वर्णित किया गया था। मुसलमानों की आशंका थी कि उनकी संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक विशुद्ध भारत में विलीन हो सकता है; इसके

परिणामस्वरूप हिंदू अपनी अधिक संख्या के कारण अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। इस बयान ने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान किए। अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए "अधिकारों का विधेयक" प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के प्रारंभिक चरण में नागरिकों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों के अधिकारों पर एक समिति गठित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रावधानों पर संविधान सभा में प्रस्तुति देना था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत के भविष्य के शासन की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अनुसार, संविधान में "अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, जनजातीय तथा दलित वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे"। हालाँकि, राजकुमारी अमृत कौर धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय के लिए आरक्षण और वेटेज, दोनों के ही विरोध में थीं। वह कहती हैं कि समाज के किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकार जैसी व्यवस्थाएँ गलत हैं। सभी धर्म मनुष्य के भाईचारे के पक्षधर हैं न कि अलगाव के। उनका मानना था कि यह भारतीय राष्ट्र के लिए विखंडन का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष :

दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिलाएँ भारत के उस स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक हैं, जहाँ उनके लिए राष्ट्र निर्माण की भावना सर्वोपरि थी। इन महिलाओं ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अभूतपूर्व सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को आकार देने में भी अमूल्य योगदान दिया। दुर्गाबाई देशमुख ने सामाजिक सुधारों को संस्थागत रूप देकर उन्हें नीतिगत पहचान दिलाई; सुचेता कृपलानी द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के साथ आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के साथ समाज में समानता और पारदर्शिता की वकालत की गई; और राजकुमारी अमृत कौर द्वारा महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जो भावी पीढ़ी के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो।

इन सभी महिलाओं का संगम यह प्रेरणा देता है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता है। इनके विचार आज भी आधुनिक भारत के लिए एक प्रगतिशील और समावेशी नींव को परिभाषित करते हैं।

ग्रंथ सूची :

- Deshmukh, D. (1979). The stone that speaketh: The story of 57 years (Vol. 1). Andhra Mahila Sabha.
- Deshmukh, D. (1980). Chintaman and I.
- Kaur, M. (1960). Role of women in the freedom movement, 1857–1947. Sterling Publishers.
- Liddle, J., & Joshi, R. (1986). Daughters of independence: Gender, caste and class in India. Kali for Women.
- Chopra, J. K. (1993). Women in the Indian parliament: A critical study of their role. Mittal Publications.
- Forbes, G. (1999). Women in modern India. Cambridge University Press.
- Basu, A., & Ray, B. (Eds.). (2002). Women's struggle: A history of the All India Women's Conference, 1927–2002. Manohar Publishers.
- Kumar, A. (2022). Her name was freedom: 35 fearless women who fought for India's independence. Hachette India.
- Paswan, A. (2022). The forgotten heroes of the Indian freedom struggle. Akhand Publishing House.
- Chetan, A. (2022). Founding mothers of the Indian republic: Gender politics of the framing of the constitution.

- Satyawali, A., & Aribam, A. (2024). The fifteen: The lives and times of the women in India's constituent assembly. Hachette UK.
- Constituent Assembly of India. (1946–1950). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vols. III–IX). Lok Sabha Secretariat.
- Constituent Assembly of India. (1947). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vol. III). Lok Sabha Secretariat.
- Constituent Assembly of India. (1947). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vol. IV). Lok Sabha Secretariat.
- Constituent Assembly of India. (1948). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vol. VII). Lok Sabha Secretariat.
- Constituent Assembly of India. (1949). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vol. VIII). Lok Sabha Secretariat.
- Constituent Assembly of India. (1949). Constituent Assembly Debates (Official Report) (Vol. IX). Lok Sabha Secretariat.
- Kriplani, Sucheta. An Unfinished Autobiography. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1978.
- P.N.chopra : Quit India movement (British Secret Report)
- Vol-ll 29 Nov 1947 , Constitution Assembly Debate
- फरवरी 1949 ,संविधान सभा (विधानसभा)
- U.P.L.A. 1966,Vol-270(Nov,30-Dec,09) (1966)
- U.P.L.A-1966.Vol-264(March 02-March 17) (1966)
- U.P.L.A-1966,Vol-270(Nov,30-Dec,09)(1966)
- 141 L.S.D Vol-4(1955)(22 April - 7 May)
- L.S.D.(1954) Vol-6(7 Sept.1954)
- U.P.L.A(1966)Vol.263(Feb.06-March 01)(1966)
- Grover, Verinder, and Ranjana Arora, eds. Sucheta Kriplani: Great Women of Modern India. New Delhi: Deep & Deep Publications, 1999.
- Kripalani, J. B. My Times: An Autobiography. New Delhi: Rupa & Co., 2004.
- Sarkar, Tanika. Religion and Women in India: Gender, Faith, and Politics, 1780s–1980s. Ranikhet: Permanent Black, 2024
- Aribam, Angellica, and Akash Satyawali. The Fifteen: The Lives and Times of the Women in India's Constituent Assembly. New Delhi: Hachette India, 2024.
- Aribam, Angellica, and Akash Satyawali. The Fifteen: The Lives and Times of the Women in India's Constituent Assembly.New Delhi: Hachette India, 2024.
- Bhatt, Shanta. Women Parliamentarians of India. Udaipur: Shiva Publications, 1995.
- Constitution assembly debate ,april 17-19 ,1947
- Constitution assembly debate, 23 november, 1948
- Constitution assembly debate ,29 november ,1948